न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज तेजसिंह व अन्य बनाम श्री नीरज कुमार मीना उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई व अन्य किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मुकदमा संख्या 29/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.06.2022	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 लगायत 8 उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा एक वाद पत्र दिनांक 23.3.2022 को वाद पत्र तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में पेश किया गया था। उक्त प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई ने मौके एवं रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने के आदेश जारी कर रखे है। प्रतिवादीगण की तलवी में तारीख पेशी दिनांक 31.5.2022 नियुक्त थी। दिनांक 4.5.2022 को प्रतिवादी संख्या 8 कैलाश पुत्र माधो जाति गुर्जर निवासी सुमेल कलां ने उक्त प्रकरण में एक प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई बाबत् प्रस्तुत किया। जिसमे प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री फिरोज खान एडवोकेट के नाम से तलवी के आदेश जारी कराकर दिनांक 5.5.2022 को सुनवाई हेतु पत्रावली नियत की गई। जिसके पश्चात् उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 6.5.2022, 9.5.2022, 10.5.2022 को प्रत्येक दिन सुनवाई हेतु लगाया गया है। प्रतिवादी संख्या 8 कैलाश पुत्र माधो राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है। जिसके कारण उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को राजनैतिक दबाव में लेकर प्रत्येक दिन सुनवाई करवाकर प्रकरण में जारी स्थगन आदेश को खारिज करवाने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीगण के हक व अधिकारों का हनन होने व प्रार्थीगण के साथ अन्याय होने की सम्भावना बन गई है। प्रार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से न्याय की उम्मीद नहीं बची है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार फरमाकर प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावे। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 लगायत 8 द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा वाद पत्र तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किये गये है। अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अप्रार्थीगण को अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखे जाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिये अपना पक्ष प्रस्तुत करने बाबत शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने एवं अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में पेश किया गया है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे। राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई द्वारा प्रकरण के निस्तारण हेतु प्रक्रिया में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। साथ ही उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में एकतरफा स्थगन आदेश जारी किये गये है। अप्रार्थीगण द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के अधिवक्ता को नोटिस जारी कर शीघ्र सुनवाई हेतु तारीख पेशी नियत की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रिया में विधिक त्रुटि कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को स्वीकार करने के सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा कोई औचित्यपूर्ण तथ्य भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रार्थी का उद्देश्य मात्र प्रकरण के निस्तारण में देरी किया जाना प्रतीत होता है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में विचाराधीन मुकदमा संख्या 66/2022 वादपत्र तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 54/2022 उनवानी तेजसिंह बनाम जगदीश वगैरा को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु प्रार्थी तेजसिंह, रघुनाथ पुत्रान किशनलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुमेल कलां तहसील बसवा जिला दौसा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 22.6.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official